



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)

14, बी. टी. एम. सरणी (ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता 700 001, पश्चिम बंगाल

पोस्ट बॉक्स सं : 2172 :: एसटीडी कोड : 033 :: दूरभाष : 2235-1331

वेबसाइट :: www.teaboard.gov.in

फा.सं 3(1)/सचि/2024-251वीं बीएम

दिनांक: 20 फरवरी, 2025

सेवा में

बोर्ड के सभी सदस्य

विषय: बोर्ड की 251वीं बैठक 5 मार्च, 2025 को कोलकाता में अपराह्न 11 बजे से हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित किए जाने के संबंध में

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड की 251वीं बैठक 05 मार्च, 2025 को कोलकाता में प्रातः 11 बजे से हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया 05 मार्च, 2025 को उपरोक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपनी सटीक यात्रा योजना (आगमन और प्रस्थान उड़ान संख्या, दिनांक और समय) नीचे दिए गए ई-मेल पर सूचित करें: secytboard@gmail.com, teaboardsectt2021@gmail.com.

केवल बोर्ड के सदस्यों को ही उनके निवास स्थान से कोलकाता और वापसी के लिए सबसे छोटे मार्ग में स्वीकार्य श्रेणी की हवाई टिकटें तथा आवास (दो दिन से अधिक नहीं) और परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा।

जो सदस्य स्वयं हवाई टिकट खरीदना चाहते हैं, उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार, सबसे छोटे मार्ग के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

संबंधित या.भ/डीए फॉर्म संलग्न है, या.भ/डीए का विवरण बोर्ड मीटिंग में उपस्थित होने पर प्रस्तुत/प्रदान किया जा सकता है (दो प्रतियों में) ताकि पीएफएमएस/आरटीजीएस के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जा सके -

1. बोर्ड सदस्य का नाम (बैंक लेखा के अनुसार).....
2. बैंक का नाम एवं शाखा
3. बैंक लेखा सं
4. आईएफएससी कोड सं.....

त्वरित संदर्भ हेतु एजेंडा/एटीआर संलग्न है।

भवदीय,

(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव प्रभारी

चाय पियो मस्त जियो !



प्रतिलिपि अग्रेषित की गई:

1.	बोर्ड के सभी सदस्य	कृपया सूचना हेतु
2.	सचिव, भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011	कृपया सूचना हेतु
3.	अध्यक्ष, टी बोर्ड भारत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011	कृपया सूचना हेतु
4.	निदेशक (रोपण) भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011	कृपया सूचना हेतु
5.	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कन्नूर, तमिलनाडु	कृपया बैठक में उपस्थित रहें तथा दक्षिण भारत स्थित सदस्यों को सूचित करने का अनुरोध करें।
6.	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी, असम	कृपया बैठक में उपस्थित रहें तथा उत्तर भारत स्थित सदस्यों को सूचित करने का अनुरोध करें।
7.	उपनिदेशक प्रभारी, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी	उत्तर बंगाल स्थित सदस्यों को सूचित करने का अनुरोध करें।
8.	वि.अ. (उ.प.भा), टी बोर्ड, नई दिल्ली	माननीय सांसदों (बोर्ड सदस्यों) को सूचित करने के अनुरोध सहित।
9.	मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, कोलकाता	कृपया सूचना हेतु
10.	बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय	कृपया सूचना हेतु
11.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
12.	संपदा अधिकारी प्रभारी	सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
13.	उपाध्यक्ष के निजी सहायक	उपाध्यक्ष की सूचना हेतु
14.	सचिव / वि.स. एवं मु.ले.अ. के नि.सह	सूचना हेतु
15.	सचिवालय शाखा के गार्ड फाइल	रिकार्ड हेतु



टी बोर्ड

यात्रा भत्ता बिल

सदस्यों द्वारा भरे जाने वाले विवरण

1. बैठकों में भाग लेने का विवरण – अन्य बोर्ड का कार्य निष्पादन:

(क) क्या यह बोर्ड या समिति की

बैठक है और यदि यह समिति है

तो उसका नाम क्या है।

(ख) बैठक का स्थान

(ग) बैठक की तिथि

2. (i) सामान्य निवास स्थान

(ii) निवास स्थान से हवाई अड्डे

तक की दूरी।

3. यात्रा शुरू होने पर वास्तविक निवास स्थान:

4. (i) हवाई अड्डे से प्रस्थान

निवास स्थान पर..... (दिनांक)

(ii) बैठक स्थल के हवाई अड्डे पर

आगमन.....(दिनांक).....

(iii) बैठक स्थल के हवाई अड्डे से प्रस्थान(दिनांक)

(iv) निवास स्थान के हवाई कार्यालय में आगमन(दिनांक)

5. सड़क मार्ग से की गई सभी यात्राओं का विवरण:-

(जैसे निवास स्थान से हवाई अड्डे तक की यात्राएँ और हवाई

अड्डे से बैठक स्थल तक और इसके विपरीत) :-

से

तक

दूरी किलोमीटर में.

परिवहन का साधन अर्थात् अपनी

कार/टैक्सी या अन्य वाहन।

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

6. या.भ. बिल से संबंधित कोई अन्य सूचना.....

.....

- 1) प्रमाणित किया जाता है कि जिस यात्रा और ठहराव के लिए दावा किया गया है, उसके संबंध में मैंने किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा और दैनिक भत्ता नहीं लिया है।
- 2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सड़क यात्राएं नहीं की हैं, जिनके लिए उच्च दरों पर माइलेज भत्ते का दावा किया गया है, किसी सार्वजनिक वाहन (स्टीमर को छोड़कर, जो नियमित रूप से निर्धारित स्थानों के बीच किराये पर चलता है और निर्धारित दरें लेता है) में एकल सीट लेकर। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा किसी अन्य वाहन में उसके किराये या परिचालन व्यय का भुगतान किए बिना नहीं की गई थी।
- 3) प्रमाणित किया जाता है कि मुझे बोर्ड या सरकार द्वारा निःशुल्क भोजन या/और आवास उपलब्ध नहीं कराया गया।
- 4) प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्तव्य के निर्वहन से असंबंधित यात्राओं के लिए मेरी प्रथागत यात्रा का साधन हवाई यात्रा है।

दिनांक

सदस्य के हस्ताक्षर

पूरा पता

एन.बी. (i) कृपया अनुपयुक्त भागों को काट दें और कॉलम भरें-

अनावश्यक पत्राचार से बचने के लिए (यहां तक कि शून्य जानकारी भी आवश्यक है)

(ii) यदि बोर्ड या/और आवास की व्यवस्था बोर्ड या सरकार के खर्च पर की जाती है तो कृपया इसे ऊपर मद संख्या 6 के सामने दर्शाया जाए।